

श्रीमती बेबी रानी मौर्य,  
राज्यपाल एवं कुलाधिपति  
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड  
विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल,  
टिहरी गढ़वाल।



राजभवन  
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या /जी0एस/शिक्षा C11-1/2015  
देहरादून: दिनांक: 26 नवम्बर . 2019

:-आदेश:-

आदेश संख्या 716/जी0एस0 शिक्षा C11-1 दिनांक 28 मई, 2019 द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति के पद के दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 यू0एस0 रावत को सौंपा गया था, जिनका छः माह का अन्तरिम कार्यकाल दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को पूर्ण हो रहा है।

एतद्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 के अध्याय-3 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में धारा-10(1) में कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अधीन डा0 पी0पी0 ध्यानी, कुलपति, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी पथरी बाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य  
कुलाधिपति।

संख्या 3061 (1) जी0एस0 शिक्षा /C11-1/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 4- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 6- डा0 पी0पी0 ध्यानी, कुलपति, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पथरीबाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 7- डा0 यू0एस0 रावत वर्तमान कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
- 8- कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
- 9- कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
- 10- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
26/11/19  
( आर0के0 सुधांशु )

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति